of the following Orders under sub-section (3) of section 13 of the Representation of the People Act, 1950:—

(i) The Delimitation of Council Constituencies (Punjab) Amendment Order, 1964 published in Notification No. G.S.R. 420 dated the 5th March, 1964. [*Placed in Library, See* No. LT-2562/64].

(ii) The Delimitation of Council Constituencies (Mysore) Amendment Order, 1964 published in Notification No. G.S.R. 421 dated the 5th March, 1964. [*Placed in Library, See* No. LT-2563/64].

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इस वक्त नहीं ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा निवेदन सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त नहीं सुन सकता ।

श्री राम सेवक यादव : इस तरह से बहुमत का निर्णय बगैर...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । इस वक्त मैं दूसरे आइटम पर चला गया हूं ।

श्री राम सेवक यादव : श्रीमन्, इस तरह से तो सदन का काम नहीं चल सकता...

अध्यक्ष महोदय : देखा जाएगा ।

12.29 hrs.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following four Bills passed by the Houses of Parliament during the current Session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 11th February, 1964:—

1. The Appropriation (Railways) Bill, 1964.
2. The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1964.
3. The Appropriation Bill, 1964.
4. The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1964.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें, व्यवस्था का प्रश्न है ...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव : यह बहुत ही गम्भीर सवाल है और नियम की...

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त मैं अगले आइटम पर चला गया हूं । माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री राम सेवक यादव : यह नियम की बात है यह लोक सभा का सदन है या कोई दरबार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो लोक सभा ही है। दरबार जब माननीय सदस्य करेंगे तो देखा जायगा । अब वे बैठ जायं । श्री स्वर्ण सिं ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हाउस चलाना चाहते हैं और सब पक्षों का पूर्ण सहयोग चाहते हैं तो मेरा थोड़ा निवेदन अवश्य सुन लें । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीक़े से देश की व्यवस्था कैसे रह सकती है ? उधर पाकिस्तान में गड़बड़ होती है और उसके कारण इधर असन्तोष फैलता है तो पाकिस्तान तो यह चाहता ही है कि उधर भारत में भी गड़बड़ कराई जाय, इधर के कश्मीर में गड़बड़ी करायें ताकि उसे यह कहने का मौक़ा मिल सके कि हिन्दुस्तान में मुसलमान नहीं रह सकते और पाकिस्तान में हिन्दू नहीं रह सकते । इसलिए यह सब गड़बड़ियां पाकिस्तान खुद कराता है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायं ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा निवेदन सुन लिया जाय । कुछ नियम हैं इस सदन के । इसी तरीक़े से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के भी नियम हैं । जो लोग उस नोटिस पर दस्तख़त करें उन्हें बोलने का मौक़ा देना चाहिए । अब यह केवल बहुमत के बल पर कैसे निर्णय कर लिया जाता है कि इस पर कोई सवाल न किया जाय । अब बहुमत वाली बात तो वही हो गयी जैसे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया कि जजों को सदन के सामने पेश किया जाय . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ । मैं उस मीटिंग में था ; वहां कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं लेता कि कोई निर्णय हुआ या नहीं हुआ । मैंने तो शुरू से ही इस बारे में हाउस की मर्जी ली । अब जिन्होंने इस नोटिस पर दस्तख़त किये हैं उनको बोलने का सिर्फ इसी वास्ते हक़ नहीं हो जाता चूंकि उनके उस पर दस्तख़त हैं । रूल्स में यहां तक है कि कभी ऐसा स्टेटमेंट किया जाय और स्पीकर अगर ज़रूरी समझे तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है । लेकिन मैंने हाउस की मर्जी के साथ यह शुरू किया था । मगर इस बात का यह मतलब नहीं कि जब नोटिस आये तो इनहैरेंट राइट, एक लीगल राइट पैदा हो जाता है मेम्बर में कि वह ज़रूर ही सवाल कर सकें . . .

श्री राम सेवक यादव : ४० मेम्बरों ने इस पर . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य मुझे कहने भी नहीं देंगे । जब मैं खड़ा हुआ हूं और बोल रहा हूं तो मुझे पूरा सुन तो लेना चाहिए ।

अब अगर इस पर चालीस आदमियों के दस्तख़त हैं तो क्या आप मुझ से यह उम्मीद करते हैं कि मैं उन चालीस के चालीस आदमियों को बुला सकूंगा ?

श्री राम सेवक यादव : हर एक ग्रुप से एक, एक को बुला लें ।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं . . .

अध्यक्ष महोदय : जब मैं उनको नहीं सुन रहा हूं तो आप का कैसे सुन सकता हूं ?

श्री बड़े : जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था कि इस पर ज्यादा प्रश्न पूछने नहीं चाहिए क्योंकि इससे देश में अशान्ति पैदा होगी । हमने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं भी हुआ था तो भी चूंकि इस वक्त हाउस की यह ख्वाहिश है कि इस वक्त सवाल न किये जायं और इसको किसी वक्त के लिए उठा रक्खा जाय तो उसको मानना चाहिए ।

श्री राम सेवक यादव : यह हाउस की राय कहां से हुई ? यह तो आपका निर्णय हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर हाउस की राय ली है ।